(39)

समक्ष – न्यायालय माननीय राजस्व Mbsel ग्वालियर (म.प्र.)

(केम्प भोपाल)

रिवि.क्रं. /18 निगरानी - 5863/2018/बैतूल/भू.रा.

शक्ति सक्सेना पिता जे.पी. सक्सेना जाति कायस्थ पेशा नौकरी
निवासी सुयोग कालोनी तह. वो जिला बैतूल

.. रिव्हीजनकर्ता / अनावेदक

बनाम

शेख रफीक व. शेख फखरु जाति मुसलमान
निवासी तिलक वार्ड बैतूल तह. वो जिला बैतूल

.. उत्तरकर्ता / आवेदक

रिव्हीजन पिटीशन धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता के अन्तर्गत

रिव्हीजनकर्ता निम्नलिखित विनय करता है :–

1. यह कि तहसीलदार बैतूल के समक्ष आवेदक / उत्तरकर्ता द्वारा दिनांक 11 / 6 / 18 को रिव्हजनकर्ता / अनावेदक द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर मामला क्रमांक 971 ब / 121 वर्ष 17–18 शेख रफीक बनाम शक्ति सक्सेना के विरूद्व दर्ज किया गया तथा तहसीलदार बैतूल द्वारा मामले मे एकपक्षीय आदेश दिनांक 18 / 6 / 18 को अवैधानिक आदेश पारित किया गया है जिससे असंतुष्ट होकर रिव्हीजनकर्ता यह रिविजन पेश कर रही है।

मामले के तथ्य

यह कि मामले मे आवेदक द्वारा जो आवेदन पत्र दिया उसके द्वारा मौजा गौठाना मे स्थित भूमी ख.नं. 184 / 225 रकबा 0.014 का विवरण दिया गया है। आवेदन के समर्थन मे भी प्रमाणित दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड भूमी के संबंध मे प्रस्तुत नही किये गये है मात्र आवेदक के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा ख.नं. 179 / 24 जो शासकीय नाले के सम्बन्ध मे उल्लेख किया, इस तथ्य के बारे मे कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज, नक्शा, आर.आई. का प्रतिवेदन प्रस्तुत नही है तहसीलदार बैतूल द्वारा रिव्हीजनकर्ता को प्रारम्भिक सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस भी जारी नही किया ना ही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5863/2018/बैतूल/भू.रा. जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, बैतूल को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	